न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

26.11.2024

वाद सं०— **एम०— 57 / 2024—25**

वाद का प्रकार— **धारा— 126 भा०ना०सु०सं०**

झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, डुमरी थाना)—बनाम— विकास कुमार गुप्ता वगै०

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०— **101 / 2024** एवं **डुमरी थाना** अप्राथमिकी काण्ड सं०— **27 / 2024 दिनांक— 04.11.2024** से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धारा— 126 भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष **1.** विकास कुमार गुप्ता, पे०— स्व० रामजी गुप्ता **2.** लव कुमार गुप्ता, पे०— स्व० रामजी गुप्ता **3.** दुर्गेश कुमार गुप्ता, पे०— स्व० रामजी गुप्ता, सभी ग्राम— जैरागी **4.** सुरेन्द्र उराँव, पिता स्व०— बिरसाय उरांव, ग्राम— लोहड़ा **5.** अशोक जायसवाल, पे०— रामा जायसवाल **6.** सत्यनाराण प्रसाद, पिता— स्व० तुलसी साव, दोनों ग्राम— डुमरी **7.** आनंद एक्का, पिता— स्व० मार्शल एक्का, ग्राम— नवाडीह **8.** निरंजन साव, पिता— विदेशी साव, ग्राम— डुमरी **9.** देव कुमार गुप्ता, पिता— स्व० चन्द्रमोहन गुप्ता, सा०— जैरागी **10.** अजित कुमार, पिता— बालमूत प्रसाद, ग्राम— जैरागी, सभी थाना— डुमरी, जिला— गुमला को **विधान सभा निर्वाचन, 2024** में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा इनके द्वारा निर्धारित राशि का बंध पत्र समर्पित किया गया है। अंकनीय है कि विधान सभा निर्वाचन, 2024 का परिणाम दिनांक— 23.11.2024 को घोषित हो चुका है। जिसके साथ आर्दश आचार संहिता का भी समापन हो गया है। **थाना प्रभारी, डुमरी** से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशांधित

26/11/24

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

Digitally signed by PURNIMA KUMARI
Date: 2024.12.10 14:36:13 +05:30
Location: 192.168.43.18

26/11/24

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

Scanned with ACE Scanner